

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

(नियम - 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), मुकाम नीमकाथाना

जबुन वगै0

बनाम

अकरम खान वगै0

म मुकदमा

वाद पत्र 53, 188

मु0 न.0 149 सन् 2024

जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर वाद पत्र पेश हुआ। वादीगण की ओर से श्री नवीन कुमार यादव एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 13.01.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक नीमकाथाना

13/1 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक से आज अदालती कार्य का स्थगन करेखा है। पत्रावली पूर्व आदेश नुसार दिनांक 24/1/25 को पेश हो।

24/2 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक से आज अदालती कार्य का स्थगन करेखा है। पत्रावली पूर्व आदेश नुसार दिनांक 2/5/25 को पेश हो।

2-5/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय (अपस्थित) काट - 01 का आवाज लगायी गयी। कार-बाट आवाज लगाने के उपरान्त भी वकूलाय की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः वादीगण का वादपत्र धारा 45 का धारा 45 के तहत जेटी के तहत में रखा गया किन्तु जाल है। पत्रावली केवल शुभ्राट के तलब से कर दिया जा रहा है।

निर्णय श्री इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

